न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 841/2024

अनवान : –

1. जमना देवी पत्नी भगवानाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. जयलाल पुत्र मामकौररी पत्नी रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. मीता पुत्री मामकौरी पत्नी रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री मामकौरी पत्नी रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 481/473 की कुल 25.3310 हैक्ट भूमि में से 6289/25331 हिस्सा भूमि मृतक सजना पत्नी शेराराम जाति कुम्हार निवासी जबरासर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सजना पत्नी शेराराम के नाम दर्ज है। सजना पत्नी शेराराम का देहान्त हो चुका है। सजना पत्नी शेराराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 13.07.2011 को उक्त वाद भूमि में से अपने हिस्से की वसीयत वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की माता मामकौरी के पक्ष में गवाहान की मौजूदगी में तहरीर करवाई थी वसीयत नोटेरी पब्लिक महेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट नोहर से तस्दीक करवाई गयी थी वसीयतकर्ता ने अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दबाव के गवाहान की मौजूदगी में अपने हस्ताक्षर किये थे यह वसीयत वसीयतकर्ता की प्रथम व अंतिम वसीयत थी।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी के हक हिस्सा की भूमि उसके नाम दर्ज की जावे तो कु[illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया। प्रतिवादी स0 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहन श्री इन्द्राज पुत्र पतराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर व महावीर पुत्र भूराराम जाति धानक निवासी जबरासर ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका है एवं उक्त वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है तथा वसीयतकर्ता के देहांत के बाद वाद भूमि पर वसीयतग्रहिता काबिज है। वसीयत के संबंध में जमानदेवी, अनील कुमार, संजय कुमार व इन्द्राज ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा जबरासर सम्वत 481/473 खाता स0 481/473, प्रमाणित चित्रप्रति नोटेरी रजिस्टर, शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सजना पत्नी शेराराम के नाम दर्ज है। सजना पत्नी शेराराम का देहान्त हो चुका है। सजना पत्नी शेराराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 13.07.2011 को उक्त वाद भूमि में से अपने हिस्से की वसीयत वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की माता मामकौरी के पक्ष में गवाहान की मौजूदगी में तहरीर करवाई थी वसीयत नोटेरी पब्लिक महेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट नोहर से तस्दीक करवाई गयी थी वसीयतकर्ता ने अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दबाव के गवाहान की मौजूदगी में अपने हस्ताक्षर किये थे यह वसीयत वसीयतकर्ता की प्रथम व अंतिम वसीयत थी। वादी मुताबिक वसीयत न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 481/473 की कुल 25.3310 हैक्ट भूमि में से 6289/25331 हिस्सा भूमि मृतक सजना पत्नी शेराराम जाति कुम्हार निवासी जबरासर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक चित्रप्रति नोटेरी रजिस्टर कमांक 128 दिनांक [illegible] के मुताबिक उक्त वसीयत सजना ने अपने हक हिस्से की भूमि की वसीयत वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की माता मामकौरी के पक्ष में तहरीर करवाई है। वसीयत के गवाहान श्री इन्द्राज पुत्र पतराम जाति जाट निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जबरासर तहसील नोहर व महावीर पुत्र भूराराम जाति धानक निवासी जबरासर ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका है एवं उक्त वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है तथा वसीयतकर्ता के देहांत के बाद वाद भूमि पर वसीयतग्रहिता काबिज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार सजना का देहांत हो चुका है तथा वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता मामकौरी का भी देहान्त हो चुका है वादीया द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मामकौरी के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता के अलावा अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 481/473 की कुल 25.3310 हैक्ट भूमि में से 6289/25331 हिस्सा भूमि में मृतक सजना का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 841/2024

अनवान : –

1. जमना देवी पत्नी भगवानाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जयलाल पुत्र मामकौररी पत्नी रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. मीता पुत्री मामकौरी पत्नी रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री मामकौरी पत्नी रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 841 सन 2024 निर्णय दिनांक -27/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 481/473 की कुल 25.3310 हैक्ट भूमि में से 6289/25331 हिस्सा भूमि में मृतक सजना का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested